रा. कि. मु. ज.–551–10,00,000–08.

APP–A
Crim–I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर, फलोदी (जोधपुर) मुकाम फलोदी

सोनाराम कोग बनाम तुलछाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नं. 493 सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-8-16	प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये वकील अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जावें। मिसल दिनांक 4-8-16 को पेश हो। सहायक कलेक्टर फलोदी (जि. जोधपुर)	
4-8-16	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एवं पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रथम दावा मामला बनता पाया जाता है कि प्रश्नार्थी को खातेदारी निर्विवाद है इस बाबत यकीन किया जाता है कि सियोमलगा परवाट क्षेत्र की लक्ष्मणगढ़ तहसील फलोदी के खेरा रकबा सब्बा 610/1, 610/2, 610/3 बीघादि में प्रार्थीगण के भले सा हैं संपत्तिपूर्वक चला आता है। किसी किस्म की दखल अंदाजी न तो दखल में है और न ही किसी हक से करावे।	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी व उसके वकील उपस्थित/विपक्षी उपस्थित/अनुपस्थित प्रकरण को लोक अदालत में रैफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत है अतः प्रकरण लोक अदालत में रैफर किया जाता है पक्षकारान दिनांक 22/6/19 को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहें।	
	पक्षकारान उप./अनु./वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप./अनु.। पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान तलब/सूचित की गयी। परन्तु राजीनामा नही हुआ। अतः पत्रावली संबंधित न्यायालय में वापिस लौटायी जायें। 5/9/18	
	पत्रावली पेश हुई। आज पोठासीन अधिकारी समय अवकाश पर/दीगर कार्यों में व्यस्त होने से पेशी इत्तला की जाकर पत्रावली दिनांक 20/11/18 को पेश हो। आज्ञा दे।	
20.11.18	पत्रावली पेश हुई। आज पोठासीन अधिकारी समय/अवकाश पर/दीगर कार्यों में व्यस्त होने से पेशी इत्तला की जाकर पत्रावली दिनांक 22.1.19 को पेश हो। आज्ञा दे।	
22/1/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थीगण उपस्थित नही। प्रार्थीगण को बार-बार आवाजे लगाने पर कोई उपस्थित नही हुआ। लिहाजा अयम हाजरी-अयम पेरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली केवाण शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner